**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर**

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :74 / 2021

वादीगण–

1. सगराम पुत्र छगनाराम
2. गुमानाराम पुत्र छगनाराम
   जातियान–जाट निवासी–जायल,तहसील जायल जिला– (नागौर)

**बनाम**

प्रतिवादीगण –

1. छगनाराम पुत्र खुमाराम
2. मुन्नी पत्नी स्व.चुनाराम
3. देवकी
4. मनीषा
5. ओमप्रकाश
6. अनोज पुत्र / पुत्रीयां स्व.चुनाराम संरक्षक जरिये माता मुन्नी देवी
7. मैना देवी पुत्री छगनाराम
8. सरजू देवी पुत्री छगनाराम
   जातियान–जाट निवासी–जायल तहसील जायल जिला – (नागौर)
9. तहसीलदार जायल

**दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थिति :–**

1. श्री गोविन्दराम ढाका , अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित

**निर्णय** **दिनांक :** 22/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1002 / 1 रकबा 3.6826 हैक्टर, खसरा नं. 42 / 1 रकबा 1.0926 हैक्टर व खेत खसरा नं. 691 / 1 रकबा 2.2420 हैक्टर व खेत खसरा नं. 4433 / 1002 रकबा 0.0890 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता रहती चली आई है। वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2074 की आखातीज को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व घ) के अनुसार सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 सगराम के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 42 / 1 रकबा 1.0926 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर 1002 / 1 रकबा 3.6826 हैक्टेयर में से 1.2275 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ से रखा गया है। वादी संख्या 2 गुमानाराम के हक बंट मे मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1002 / 1 रकबा



22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

3.6826 हैक्टेयर में से 1.2275 हैक्टेयर मध्य का हिस्सा व खेत खसरा नंबर 691/1 रकबा 2.2420 हैक्टेयर में से 1.1210 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 छगनाराम, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 क्रमश मैना व सरजू के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में 1006/1 रकबा 1.6268 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण रखी गई है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में क्रमश मुन्नी,देवकी,मनीषा, अनोप,ओमप्रकाश के खेत खसरा नंबर 1002/1 रकबा 3.6826 हैक्टयेर भूमि मेंसे 1.2275 हैक्टेयर उतरी भाग तथा खेत खसरा नबर 691/1 रकबा 1.1210 हैक्टेयर उतरी भाग रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 ने दिनांक 17.06.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्द राम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेन्दा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 9 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह सगराम पुत्र छगनाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम जायल तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 439 प्रदर्श-1 नकल पेश हुवे। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.06.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 17.06.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में मौजा जायल के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 42/1 व 1006/1 की भूमि को यथावत तथा मुतदाविया शेष खसरा 1002/1,691/1 का माफिक ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 1002/1,691/1 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 12.07.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 12.07.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2253 दिनांक 11.3.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी गुमानराम, छगनाराम, मुन्नी , अनोप ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान प्रेमाराम पुत्र हनुमानाराम तथा भू.अभि.निरीक्षक जायल की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1002/1 रकबा 3.6826 हैक्टर, खसरा नं. 42/1 रकबा 1.0926 हैक्टर व खेत खसरा नं. 691/1 रकबा 2.2420 हैक्टर व खेत खसरा नं. 4433/1002 रकबा 0.0890 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को प्रतिवादी संख्या 1 छगनाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 74/2021 वगैरह
सगराम बनाम् छगनाराम वगैरह

**— : : आदेश : : —**

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1002/1 रकबा 3.6826 हैक्टर, खसरा नं. 42/1 रकबा 1.0926 हैक्टर व खेत खसरा नं. 691/1 रकबा 2.2420 हैक्टर व खेत खसरा नं. 4433/1002 रकबा 0.0890 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को प्रतिवादी संख्या 1 छगनाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 सगराम के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 42/1 रकबा 1.0926 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर 1002/1 रकबा 3.6826 हैक्टेयर में से 1.2275 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 गुमानाराम के हक बंट मे मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1002/1 रकबा 3.6826 हैक्टेयर में से 1.2275 हैक्टेयर मध्य हिस्सा नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 691/1 रकबा 2.2420 हैक्टेयर में से 1.1210 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 छगनाराम, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 कमश मैना व सरजू के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1006/1 रकबा 1.6268 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 से 6 कमश मुन्नी पत्नी स्व.चुनाराम,देवकी,मनीषा, अनोप,ओमप्रकाश पुत्र/पुत्रिया स्व.चुनाराम सरंक्षक जरिये माता मुन्नी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त मे खेत खसरा नंबर 1002/1 रकबा 3.6826 हैक्टयेर भूमि मेंसे 1.2275 हैक्टेयर उतरी भाग तथा खेत खसरा नबर 691/1 रकबा 1.1210 हैक्टेयर उतरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. खसरा नंबर 4433/1002 रकबा 0.0890 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता यथावत छगनाराम पुत्र खुमाराम के हिस्से में रखा गया है।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

**अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 120/2020

वादीगण–

1. सगराम पुत्र छगनाराम
2. गुमानाराम पुत्र छगनाराम जातियान–जाट निवासी–जायल,जिला– (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. छगनाराम पुत्र खुमाराम
2. मुन्नी पत्नी स्व.चुनाराम
3. देवकी
4. मनीषा
5. ओमप्रकाश
6. अनोज पुत्र/पुत्रीयां स्व.चुनाराम संरक्षक जरिये माता मुन्नी देवी
7. मैना देवी पुत्री छगनाराम
8. सरजू देवी पुत्री छगनाराम जातियान–जाट निवासी–जायल तहसील जायल
9. तहसीलदार जायल ।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका , अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा, अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित

**दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**– : : डिक्री आदेश : : –**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 8 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा व प्रतिवादी संख्या 9 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1002/1 रकबा 3.6826 हैक्टर, खसरा नं. 42/1 रकबा 1.0926 हैक्टर व खेत खसरा नं. 691/1 रकबा 2.2420 हैक्टर व खेत खसरा नं. 4433/1002 रकबा 0.0890 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ता में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 8 को प्रतिवादी संख्या 1 छगनाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 सगराम के हक बंट में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 42/1 रकबा 1.0926 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खेत खसरा नंबर 1002/1 रकबा 3.6826 हैक्टेयर में से 1. 2275 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।



24/6/22
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

2. वादी संख्या 2 गुमानाराम के हक बंट मे मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1002/1 रकबा 3.6826 हैक्टेयर में से 1.2275 हैक्टेयर मध्य हिस्सा नजरीनक्शानुसार व खेत खसरा नंबर 691/1 रकबा 2.2420 हैक्टेयर में से 1.1210 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 छगनाराम, प्रतिवादी संख्या 7 व 8 कमश मैना व सरजू के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1006/1 रकबा 1.6268 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 से 6 कमश मुन्नी पत्नी स्व.चुनाराम,देवकी,मनीषा, अनोप,ओमप्रकाश पुत्र/पुत्रिया स्व.चुनाराम सरंक्षक जरिये माता मुन्नी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त मे खेत खसरा नंबर 1002/1 रकबा 3.6826 हैक्टयेर भूमि मेंसे 1.2275 हैक्टेयर उतरी भाग तथा खेत खसरा नबर 691/1 रकबा 1.1210 हैक्टेयर उतरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
5. खसरा नंबर 4433/1002 रकबा 0.0890 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता यथावत छगनाराम पुत्र खुमाराम के हिस्से में रखा गया है।
6. तेहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

**तीज** – **मुबलिग** – **बाबत्** –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/6/2022 को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर० तलबाना | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

22/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)